हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/2/26 वकुलाय उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। दौराने बहस वकील अपीलांट का कथन रहा कि कृषि भूमि खसरा सं.418/283 रकबा 0.9712 हैक्टेयर वाकेग्राम महरामपुरा में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदार अपीलांट की माता भूली पत्नी गोपी जाति बलाई निवासी महरामपुरा थी। अपीलांट की माता भूली ने पति गोपी की मृत्यु के बाद देवर कंवरलाल के साथ शादी कर ली थी। कंवरलाल से अपीलांट की माता के अपीलांट भवानीशंकर एवं घीसीबाई पैदा हुई। अपीलांट की माता भूलीबाई को उक्त भूमि दिनांक 19.10.1977 को आवंटन होकर प्राप्त हुई थी जो बाद में उसके नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज हुई। अपीलांट की माता अपीलांट के परिवार के साथ ही निवास करती थी तथा अपीलांट ही उसकी सेवा सुश्रुषा करता था। खातेदार भूलीबाई की 70–80 वर्ष की आयु होने से उसको दिखाई नहीं देता था तथा वह चलने फिरने में भी असमर्थ थी। वह सोचने समझने की स्थिति में भी नहीं थी। अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट की बहन रेस्पो.सं. 2 घीसीबाई का पुत्र सुरेश आ. गोपाललाल निवासी उमरच उसको पेंशन दिलाने के बहाने बून्दी लेकर आया। सुरेश ने पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत अपीलांट की माताजी को उप पंजीयक कार्यालय बून्दी में ले जाकर कूटरचित फर्जी व बनावटी वसीयतनामा तैयार करवाकर दिनांक 02.08.2018 को उप पंजीयक कार्यालय बून्दी में पंजीयन करवा लिया। खातेदार भूली की दिनांक 15.11.2018 को मृत्यु हो चुकी है, जिसके मरणोपरान्त समस्त धार्मिक कार्य अपीलांट ने ही सम्पन्न किये है। उक्त कूटरचित व फर्जी वसीयत के आधार पर नामा.सं. 705 दिनांक 15.04.2025 को सुरेश पुत्र गोपाल के नाम तस्दीक कर दिया गया, जो प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। वकील रेस्पो. का तर्क रहा कि रेस्पो.सं. 2 घीसीबाई की माता एवं रेस्पो.सं. 1 सुरेश की नानी भूलीबाई उनके पास ग्राम उमरच में ही रहती थी। जिसने हमारी सेवा से प्रसन्न होकर अपने खाते की ख.सं. 418/283 रकबा 6 बीघा भूमि रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 02.08.2018 से रेस्पो.सं.1 के पक्ष में स्वैच्छा से वसीयत कर दी थी। खातेदार भूलीबाई की मृत्यु दिनांक 15.11.2018 को ग्राम उमरच में हमारे पास ही हुई थी जिसका कियाकर्म भी सुरेश द्वारा ही करवाया गया था। अपीलांट के घरवाली नहीं है वह अकेला ही श्मशान में रहता है एवं कालभैरू की सेवा करता है। मृतक खातेदार भूलीबाई की ग्राम महरामपुरा में स्थित कृषि भूमि बाबत धारा 135(2) एलआर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

एक्ट में प्रकरण दर्ज कर मृतक खातेदार भूली बाई के सभी वारिसानों को सुनते हुये दिनांक 06.12.2024 को निर्णय पारित किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 15.04.2025 को अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया है। धारा 135(2) एलआर एक्ट में दर्ज प्रकरण में पारित आदेश की पालना तस्दीक नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से अपील खारिज की जावे। तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा दायर अपील संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के यहां वर्तमान में विचाराधीन होने से इस न्यायालय में अपील पोषनीय नहीं है। अपील क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारिज किये जाने का निवदेन किया गया।

न्यायालय द्वारा हस्तगत अपील संख्या 46/2025 बउनवान भवीनशंकर बनाम सुरेश वगै.का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट हुआ कि ग्राम महरामपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 418/283 रकबा 0.9712 हैक्टेयर की खातेदार भूलीबाई पत्नी गोपी जाति बलाई के देहान्त के बाद पक्षकारान द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत तहसीलदार बून्दी के समक्ष पृथक–पृथक आवेदन पत्र पेश किये गये। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर विवाद की स्थिति में सभी वारिसानों की सुनवाई किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण मि.नं. 04/2020 दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई की गई। पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये तथा गवाहान के बयान दर्ज किये गये। बाद सुनवाई पक्षकारान मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयतनामा नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 06.12.2024 पारित किया जाकर पटवारी हल्का को पालना हेतु जारी किया गया। जिसकी पालना में नामा.सं. 705 दिनांक 15.04.2025 दर्ज किया गया।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पक्षकारान द्वारा परस्पर विरोधी कथन किया जाकर नामान्तरण दर्ज किये जाने हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र पेश किये जाने पर तहसीलदार बून्दी द्वारा लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 135(2) के अधीन पक्षकारान को सुनकर विवादित आदेश पारित किया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश Contested अर्थात् विवादित नामान्तकरण का मामला है। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 75(1)(डी) के तहत कलक्टर लेण्ड रेकार्ड को अविवादित (Undispted) नामान्तकरण की अपील सुनवाई के अधिकार है, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 75(1)(एफ) के अधीन विवादित नामान्तकरण की अपील के क्षैत्राधिकार डायरेक्टर, लेण्ड रेकार्ड में निहित है, जैसा कि आर.आर.डी. 1989 पेज 226 में प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार हस्तगत अपील

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं है। दौराने बहस उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है कि तहसीलदार बून्दी के आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के यहां वर्तमान में अपील विचाराधीन है। उक्त अपील में पारित निर्णय से ही अपीलाधीन नामान्तकरण का अस्तित्व तय होगा। चूंकि अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार बून्दी का मूल आदेश नहीं है। मूल आदेश के अस्तिस्व में रहने के दौरान उसकी पालना में तस्दीक नामान्तकरण को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में हस्तगत अपील औचित्यहीन एवं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी